राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और हशियायी समुदाय

एक प्रवेशिका

CENTER OF POLICY
RESEARCH AND GOVERNANCE

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और हशियायी समुदाय

एक प्रवेशिका

Published by
Center of Policy Research and Governance (CPRG)
A-3, Dhawandeep, 6-Jantar Mantar Road, Delhi-110001

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और हशियायी समुदाय

एक प्रवेशिका

CENTER OF POLICY
RESEARCH AND GOVERNANCE

अप्प दीपो भव

-भगवान बुद्ध

'ज्ञान ही शक्ति है'

-फ्रांसिस बेकन

हाल में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हमारे समय का एक दूरदर्शी और अभूतपूर्व दस्तावेज है जिसकी यात्रा काफी दिलचस्प रही है| भारत में कोई भी राष्ट्रीय मसौदा समस्त शिक्षा व्यवस्था के लिए पहली बार 1968 में आया था जो कोठारी कमिटी की रिपोर्ट से निकला था| उसके बाद 1986 में जाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई, जिसको लागू करने और उसकी रुपरेखा बनाने में पर्याप्त समय लगा| 1986 के बाद 2015 में जाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई और अंत में 2020 में हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा आया| वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बनने की प्रक्रिया अभूतपूर्व है| वर्तमान शिक्षानीति लगभग 5 साल की गहन चर्चा, दो आयोगों की गहन पड़ताल और तीन मंत्रियों के कार्यकाल का परिणाम रही है, जिसको अभी लागू किया जाना शेष हैं|

बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा से जुड़े उन मौलिक प्रश्नों को उठती है जिन पर हमारा शिक्षा जगत बहुत समय से मंथन कर रहा था| राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम, शिक्षण-प्रक्रिया, अध्यापक शिक्षा, शैक्षणिक गुणवता से सम्बंधित मौलिक प्रश्नों के साथ-साथ भविष्य की कौशल और तकनीक की चुनौतियों पर न केवल विचार करती हैअपितु उनके समाधान हेतु मार्ग भी सुझाती है|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक ऐसा समावेशी दस्तावेज है जिसने समकालीन समाज के शैक्षणिक विमर्श के सभी मुद्दों को अपने में समाहित किया है और उनके समाधान जी रुपरेखा दी है| राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को तैयार करने और उसको लागू करने की प्रक्रिया लोकतान्त्रिक रही है जैसा की हमारी सार्वजनिक नीतियों में अमूनन दिखाई नहीं पड़ता हैं|राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तैयार करने के दौरान सरकार ने गाँव, ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर पर चर्चा करने के अलावा आम नागरिकों, बुद्धिजीवियों और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली अनेकों सामाजिक संस्थाओं ने इस शिक्षा नीति को मूर्त रूप देने में योगदान दिया है|

इस शिक्षा नीति में वंचित समूहों के लिए 'सामाजिक-आर्थिक वंचित समूह' शब्द का प्रयोग किया है, यह शब्द उन सभी समूहों- चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो या लैंगिक स्तर पर हो, या शारीरिक अथवा मानसिक स्तर पर हो अथवा किसी भी आधार पर यदि वह वंचित है तो उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है| इस शब्द के प्रयोग के कारण कुछ समूहों में, शिक्षा नीति के बारें में कुछ आशंकाएं हुई की यह शब्द एससी, एसटी और पिछड़े समूहों के बारें में बात नहीं करता |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में 'सामाजिक-आर्थिक वंचित समूह' के अंतर्गत सभी तरह के वंचित समूहों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है, जिससे इन सभी समूहों के सशक्तिकरण के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किये जा सके|इस रिपोर्ट में हमने यह समझने का प्रयास किया है की यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 सामाजिक-आर्थिक वंचित समूहों के लिए कितनी प्रांसगिक है|

इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमें प्रसिद्द सामाजिक विज्ञानी प्रोफ० बद्री नारायण जी का मार्गदर्शन और सुझाव मिला है जिसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं|

रामानन्द
निदेशक,
सेण्टर ऑफ़ पालिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और हशियायी समुदाय

एक प्रवेशिका

सामाजिक असमानता का पूर्ण उन्मूलन किसी भी देश की तरह भारत की लोकतांत्रिक सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।यह सामाजिक सौहार्द और सभी के सुख के लिए यह आवश्यक भी है।भारतीय समाज मे निहित असमानताओं के उन्मूलन के लिए शिक्षा सबसे ताकतवर और असरदार तरीका हो सकता है।भारत के हाशियाकृत समुदायों के लिए शिक्षा की उपलब्धता सामाजिक न्याय,समानता और गरिमा पाने की स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। शैक्षणिक दायरों में उनका प्रवेश अवश्य ही समाज में जाति आधारित असमानताओं के खात्मे की शुरुआत करेगा। गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक कई भारतीय चिंतकों और सुधारकों ने वंचित समुदायों की शिक्षा तक पहुँच को,उनके सशक्तिकरण के माध्यम के तौर पर देखा है।हमारे समाज के वंचित तबकों तक शिक्षा की पहुँच अवश्य ही हमें लोकतांत्रिक स्रोतों के समान वितरण में सहायता करेगी ताकि उन तक सामाजिक न्याय की पहुँच सुनिश्चित की जा सके और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर समूहों की लोकतांत्रिक भारतीय समाज में सम्पूर्ण नागरिक के तौर पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।शिक्षा उन्हें भगवान बुद्ध के दर्शाए मार्ग 'अप्प दीपो भवः' की ओर अग्रसर कर सकती है। शिक्षा हमें सम्मान,गुणवत्तापरक जीवन और जीविका देती है।यह हमें राष्ट्र की सामाजिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाती है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित लोकतांत्रिक रूप से तराशे हुए नए भारत में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक मुख्य वैचारिक तर्क के रूप में विकसित हुई है जो सभी को और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांग, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों समेत अन्य हाशियाकृत समूहों को शिक्षा प्रदान करने की बात करती है।यह सच है कि भारतीय समाज एक लम्बी अवधि से कई तरह के हाशियाकरणों से ग्रसित रहा है और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 कई तरह के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हाशियाकरणों को चिन्हित करने का प्रयास करती है।इसने शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर और हाशियाकृत वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रणनीतियों की अवधारणा और रूपरेखा तैयार की है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग व्यक्तियों, लड़कियों,

महिलाओं और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक कारणों से अन्य तरह के हाशियाकृत लोगों के लिए उचित, गरिमापूर्ण और गुणवत्तापरक शिक्षा के समावेश के लिए प्रतिबद्धता के घोषणापत्र के रूप में प्रकट हुई है।यह शैक्षणिक हस्तक्षेप के माध्यम से असमानता को कम करने के लिए विभिन्न रचनात्मक और पथप्रदर्शक प्रावधान करता है। इस छोटी पुस्तिका में हम संक्षेप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के कुछ प्रावधानों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके शैक्षिक समावेशन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और एक समतामूलक समाज बनाने के लिए उनके लिए सामाजिक न्याय का मार्ग सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव करती है जो भारत को बदलने में सीधे योगदान देती है, अर्थात जो भारत को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में निरंतर रूपांतरित करेगी। अपने सार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, पिछड़े समुदायों, अल्पसंख्यकों और अन्य नयी उभरती हाशियाकृत श्रेणियों के लिए एक समावेशी शैक्षिक वातावरण प्रदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल एक समावेशी शैक्षिक स्थान के रूप में विकसित होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरे हाशियाकरणों के नए, छोटे और अदृश्य रूपों की लगातार पहचान भी करेगा। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, पृ 3)

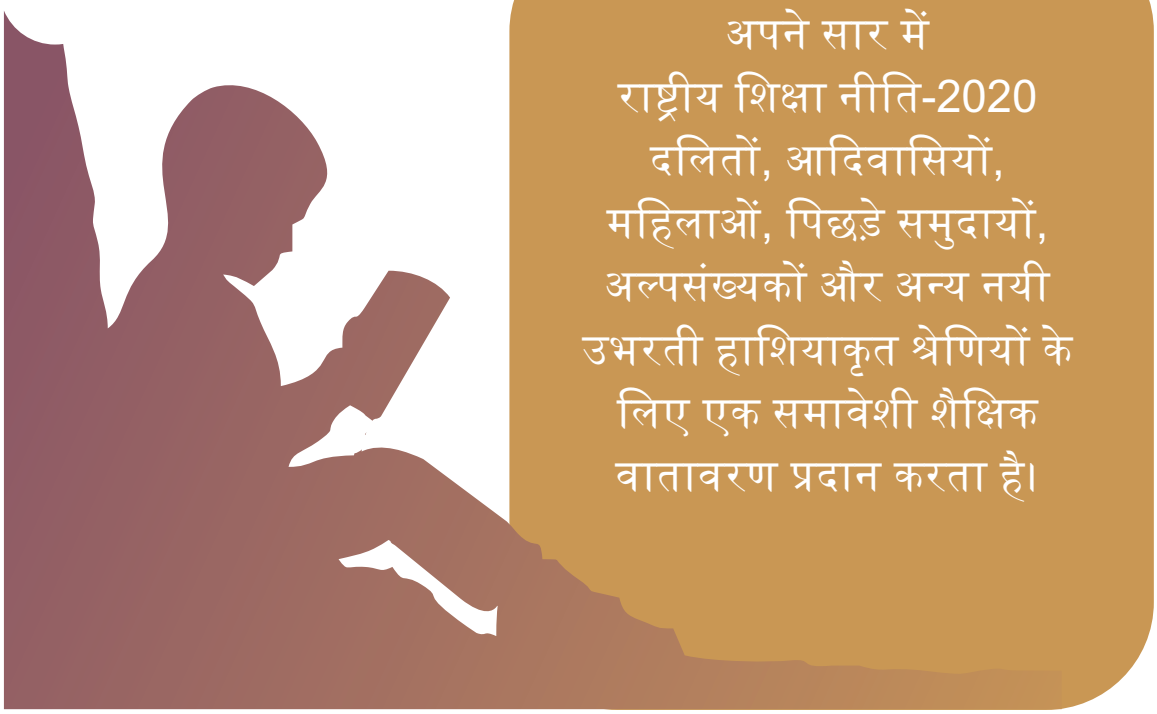

मिथकों के सम्मुख सत्य

समाज के एक हिस्से में कुछ आशंका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 समाज में हाशियाकृत व्यतियों के लिए शैक्षिक स्थान को कम करने जा रहा है। जहां तक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15और 16 में निहित आरक्षण के संवैधानिक जनादेश की पुष्टि करती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मसौदे में आरक्षण के प्रावधानों में यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है,जो पहले से ही भारतीय संविधान के दायरे में काम कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतिमें यह घोषित किया गया है कि सफल चल रहे कार्यक्रम और नीतियाँ जारी रहेंगी और साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और अन्य सामाजिक-आर्थिक वंचित समूहों के शैक्षिक समावेशन को लाने के लिए कुछ नए प्रयासों को भी जोड़ा जाएगा। हमारे शिक्षा मंत्री पहले ही अपने विभिन्न वक्तव्यों में स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि हमें कोई शिकायत मिलती है तो मंत्रालय उचित कार्रवाई करेगा।

इस शिक्षा नीति को लेकर एक अन्य प्रकार के संदेह का निर्माण किया जा रहा है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों जैसे हाशियाकृत समुदायों के लिए कोई कार्यक्रम और पैकेज नहीं है। इन मिथकीय तर्कों को साबित करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित एसईडीजी शब्द और श्रेणी को बुद्धिजीवियों के एक वर्ग द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। एसईडीजी श्रेणी और इसके आसपास के नीति प्रस्ताव का हमारे समाज के कुछ शैक्षिक विश्लेषकों द्वारा गलत अर्थ निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से हाशियाकृत समुदायों के कमजोर पड़ने की अफवाहों को प्रसारित करने के लिए एक निरंतर अभियान कुछ समूहों द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिन्हें कुछ निहित स्वार्थों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। एसईडीजी वर्ग (सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह) उचित रूप से जाति आधारित असमानताओं से संबंधित है, जो

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिमें यह घोषित किया गया है कि सफल चल रहे कार्यक्रम और नीतियाँ जारी रहेंगी और साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और अन्य सामाजिक-आर्थिक वंचित समूहों के शैक्षिक समावेशन को लाने के लिए कुछ नए प्रयासों को भी जोड़ा जाएगा।

हमारे देश के शैक्षिक परिदृश्य में कुछ समूहों के हाशिए पर जाने का कारण बनता है।

नीति निर्माताओं और सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस शब्द का इस्तेमाल वैश्विक शब्दावली के साथ यूएनडीपी और नियोजन को ध्यान में रखकर किया गया है और हाल ही में नीति आयोग के दस्तावेज़ में भी एसडीजी-2013 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस चिंता और अभियान को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि यह वंचित समूहों में गलत सूचना फैला सकता है जो इस नीति से अधिकतम लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। इस पुस्तिका का उद्देश्य हाशिए के समूहों के लिए सभी सिफारिशों को उजागर करना है और यह जानना है कि हमें नीतियों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य शब्दावली के प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों है? यह पुस्तिका हाशियाकृत समुदायों के लिए सरकार के पिछले और वर्तमान शैक्षिक कार्यक्रमों और नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण करने का भी प्रयास करेगी।

यह पुस्तिका शैक्षिक सशक्तीकरण के संदर्भ में वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बारे में एक सामान्य परिचय देगी और यह देश की हाशियाकृत जनसंख्या के लिए खेल के नियम बदल देने वाली साबित होगी क्योंकि यह विस्तृत कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करती है और संस्थाओं और सरकार की जवाबदेही तय करती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग(एसईडीजी): नीति केंद्रण के लिए क्लस्टर निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में सामाजिक-आर्थिक वंचित समूहों (एसईडीजी) की एक श्रेणी प्रस्तावित की गई है जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और दिव्यांग वर्गो के शैक्षणिक उन्नयन के लिए एक साथ योजना बना रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत में अल्पसंख्यकों को शामिल करने के लिए विशेष ध्यान केंद्रित करती है। यह पदबंध न केवल राज्य-नीत परंपरागत हाशियायी श्रेणियों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांग और अन्य नए हाशियाकृत अस्मिताओं के लिए उचित स्थान भी प्रदान करता है। परंपरागत हाशियाकृत श्रेणियों के अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विभिन्न अन्य श्रेणियों जैसे कि दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, पारिस्थितिक और भौगोलिक रूप से हाशिए के क्षेत्रों का पता लगाने की भी कोशिश की और उनके शैक्षिक समावेश की आवश्यकता को महसूस किया है। इसने भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के

एसईडीजी वर्ग (सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह) उचित रूप से सामाजिक-आर्थिक आधारित असमानताओं से संबंधित है, जो हमारे देश के शैक्षिक परिदृश्य में कुछ समूहों के हाशिए पर जाने का कारण बनता है।

हाशियाकरणको झेल रहे व्यक्तियों के लिए एक अलग समूह बनाया है। इस क्लस्टर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दस्तावेज़ में बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक वंचित समूह (एसईडीजी) के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय समाज में वायरस की तरह प्रचलित इन विभिन्न प्रकार के हाशियाकरणों को परिभाषित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है। रणनीति विभिन्न नीतियों का निर्माण करने परंतु इन हाशियाकृत समूहों के लिए एकीकृत प्रभाव पैदा करने का दावा करती है।

एसईडीजी की यह श्रेणी देश की शैक्षिक योजना में सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए स्थान प्रदान करती है। दुनिया के विभिन्न देशों में विकासात्मक और शैक्षिक योजना तैयार करने में इस शब्द का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी छात्र श्रेणी-एसईडीजी में न केवल दलित, आदिवासी, ओबीसी, दिव्यांग को शामिल करती है बल्कि देश के अन्य अल्पसंख्यको को भी शामिल कर उन्हें अत्यधिक विशेषाधिकार प्रदान करने का वादा करती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस शब्द का उपयोग सामाजिक-आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित किए गए, वंचित वर्ग की व्यापक श्रेणी का वर्णन करने के लिए किया है। 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी) को व्यापक रूप से लिंग-पहचान के आधार पर (विशेष रूप से महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति), सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के आधार पर(जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान के आधार पर (जैसे गांवों, छोटे शहरों और आकांक्षी जिलों के छात्र), विकलांगता के आधार पर (सीखने की अक्षमता सहित), और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर (जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले घर, कमजोर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विभिन्न अन्य श्रेणियों जैसे कि दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, पारिस्थितिक और भौगोलिक रूप से हाशिए के क्षेत्रों का पता लगाने की भी कोशिश की और उनके शैक्षिक समावेश की आवश्यकता को महसूस किया है। इसने भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के हाशियाकरणको झेल रहे व्यक्तियों के लिए एक अलग समूह बनाया है।

स्थितियों में बच्चे, तस्करी के शिकार या अन्य किसी आपदा के शिकार बच्चे, शहरी क्षेत्रों में बाल भिखारियों और अनाथों सहित अनाथ बच्चे), आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, 6.2, पृ24)

यह शब्द और श्रेणी दुनिया के विभिन्न प्रतिष्ठित समाज वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है ताकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के सामाजिक अनुभवों के आधार पर हाशियाकृत समूहों के अभाव को संबोधित किया जा सके। यह शब्द पहली बार बर्नस्टीन (1960) द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए एक बड़े समूह को कवर करने के लिए किया जैसे कि स्कूलों में विकलांग बच्चों को उनकी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने से दूर रखना, और जिनके माता-पिता कम शैक्षिक स्तर के हैं। एक अन्य विकास वैज्ञानिक गॉर्डन (1965) ने 'सामाजिक-आर्थिक अभाव', 'सामाजिक रूप से वंचित'और 'सांस्कृतिक रूप से अलग-थलग'का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया था जो बचपन की विक्षुब्ध स्थितियों के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों को दर्शाता है। डेविड बोरस (स्पुरलॉक,1970 द्वारा उद्धृत) ने इसे सामाजिक वंचना के 'अनुभव' के रूप में देखा है, 'जिसमें एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करने और जीवन की गरिमा का आनंद लेने के लिए, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के अवसर से वंचित किया जाता है'। व्हिटमैन और डेस्टेक (1968) ने माना कि सामाजिक वंचना 'विशिष्ट प्रकार के पर्यावरणीय कारकों के विशेष संदर्भ के रूप में संदर्भित होती है'।उनके अनुसार, पर्यावरणीय कारक को तब व्युत्पन्न माना जा सकता है जब वह कारक कुछ विशिष्ट सामाजिक समूहों जैसे कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति (एसईएस) या नस्ल से जुड़ा हो और जब पर्यावरणीय मानक गिरे हुए हुए प्रदर्शन के साथ जुड़ा हुआ हो।

एसईडीजी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि को पूरा करने के लिए एक अवधारणात्मक और नीतिगत प्रयास है जो समावेशी और समतापूर्ण समाज बनाने पर केंद्रित है(पृ.40-46,67-68)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 स्कूल छोड़ने की स्थितियों का विश्लेषण करते हुए भारतीय शिक्षा को समावेशी और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रमुख समस्याओं में से एक का निदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज़ कहता है :

“हालांकि स्कूलों में समग्र नामांकन कक्षा1 से कक्षा12 तक लगातार घटा है, नामांकन में यह गिरावट इनमें से कई एसईडीजीसमूह के लिए अधिक है और उच्च शिक्षा में यह स्थिति और भी दयनीय है”। लैंगिक पहचान के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक पहचान और विकलांगता, भौगोलिक पहचान भी एसईडीजी में शामिल हैं। इससे इन क्षेत्रों को भविष्य में सरकारों से आवश्यक ध्यान और प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। (6.2-पृ.24)

समावेशन की निर्मिति : हाशियाकृत, वंचित और पीछे छूट गए लोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक श्रेणी 'एसईडीजी' बनाई है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी आदि के अलावा अल्पसंख्यक व 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित तबके' भी शामिल हैं, क्योंकि मौजूदा शिक्षा प्रणालीमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए पहले से ही प्रावधान हैं। इस नयी श्रेणी को बनाने का उद्देश्य विभिन्न वंचित समुदायों को एक साथ लाना है जो समान और सामंजस्यपूर्ण शैक्षिक योजना में मदद कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इसे दोहराया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने स्कूली शिक्षा में सभी स्तर पर लिंग और सामाजिक श्रेणी अंतराल को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति

की है, खासकर माध्यमिक स्तर पर अभी भी बड़ी असमानता है विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों में जिनका प्रतिनिधित्व शिक्षा में ऐतिहासिक रूप से बहुत कम रहा है। स्कूलों में नामांकन में ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक की गिरावट आई है। नामांकन में गिरावट इस 'एसईडीजी' समूह में से कई के लिए अधिक स्पष्ट है। इनमें से 'एसईडीजी' समूह में शामिल प्रत्येक वर्ग के भीतर छात्राओं के नामांकन में अधिक गिरावट आई है और उच्च शिक्षा में तो और भी तेज। सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के भीतर आने वाले 'एसईडीजी' के स्थिति का अवलोकन करके निम्नलिखित उप-वर्गों में दिया गया है:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अपने मसौदा पत्र में एसईडीजी की समस्या को विस्तार से बताती है, 'एसईडीजी' समूहों की शैक्षिक स्थिति का वर्णन करते हुए, यह सुझाव दिया गया है कि :

यु- डीआईएसई 2016-17 के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्रवेश पाने वाले 19.6 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति से आते हैं जबकि माध्यमिक स्तर पर यह गिरकर 17.3 प्रतिशत रह जाता है। नामांकन में गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6 प्रतिशतसे 6.8 प्रतिशत), और शारीरिक रूप से कमजोर (विकलांग) छात्रों (1.1 प्रतिशतसे 0.25 प्रतिशत) में और अधिक है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में छात्राओं की श्रेणी में और भी अधिक गिरावट आई है। उच्च शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी ज्यादा है।

गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की कमी, गरीबी, सामाजिक कारण और भाषा सहित विभिन्न कारकों के चलते अनुसूचित जाति छात्रों के बीच नामांकन और विद्यालय मे बने रहने की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

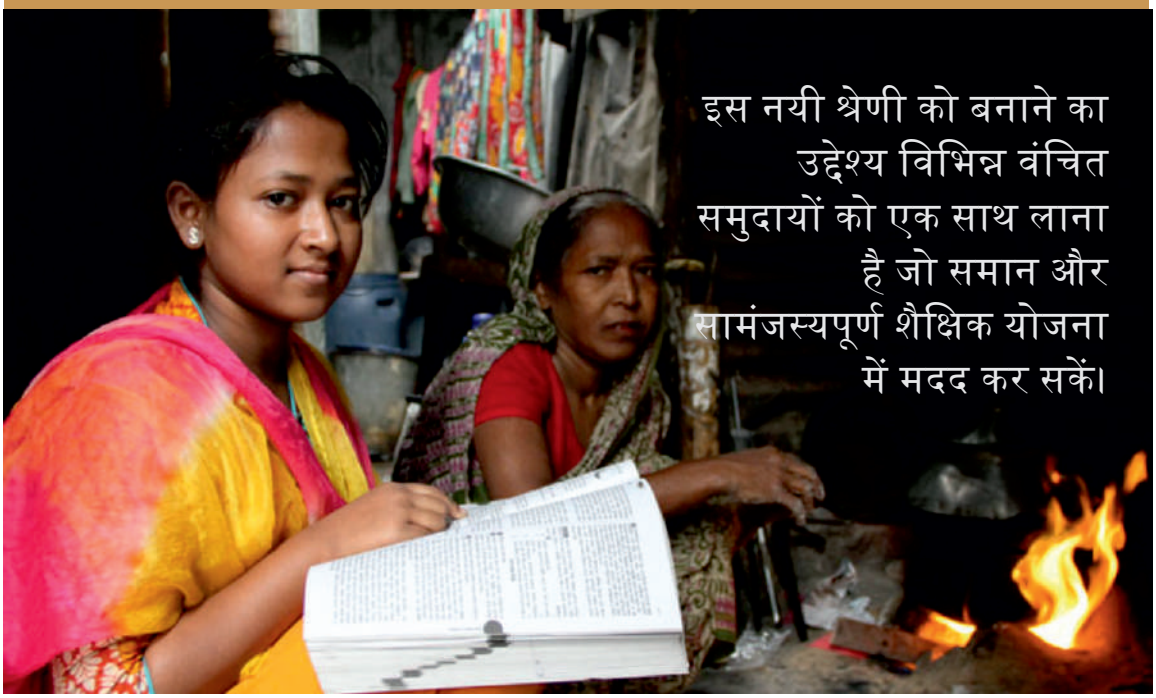

अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुँच, भागीदारी और सीखने के परिणामों में रिक्तता को भरना प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी पहचान ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने की है, पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण कई स्तरों पर मुश्किलों का सामना करते हैं। जनजातीय समुदायों के बच्चे अक्सर अपने स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और भिन्न पाते हैं। अब जबकि जनजातीय समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में सरकार भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनायें ला रही है । इस समूह की शिक्षा में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की जरूरत है जिससे कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को इन कार्यक्रमों से लाभ मिले।यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए कार्यक्रमों की महत्ता को संज्ञान में लेती है और विशेष रूप से उन समुदायों का जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

यह नीति विशेष जरूरतमंद (चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स)या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है।

अब जबकि जनजातीय समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में सरकार भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनायें ला रही है । इस समूह की शिक्षा में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की जरूरत है जिससे कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को इन कार्यक्रमों से लाभ मिले।

स्कूली शिक्षा में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों मे आ रहे अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जाएगी, जैसाकि निम्नलिखित उपवर्गों में दर्शाया गया है। (6.2.1-4, p.25)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसी प्रतिबद्धता है जिसमें निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य एसईडीजीसमूह शामिल हैं जो देश के शैक्षणिक भूमि में एक ही फ्रेम में आते हैंऔर जिनकी वर्तमान शिक्षा में हिस्सेदारी कम है यह नीति हमारे समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए शैक्षिक संसाधन वितरित करेगी।

वंचितों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र:

भारत के गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक स्थानों में वंचित समुदायों को शामिल करने के लिएराष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 ने विशेष शिक्षा क्षेत्रों (एसईजेड) की पहचान करने के लिए नीति बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा है।

एसईजेड ऐसे सुचिन्हित क्षेत्र होंगे जहां शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजी समुदाय की काफी बड़ी आबादी रहती है। इन विशेष शिक्षा क्षेत्रों में सभी योजनाओं और नीतियों को अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से अधिकतम लागू किया जाना है। यह नीति-रणनीति इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने में मदद करेगी।

इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विशिष्ट भौगोलिक स्थानों की भी पहचान करती है, जो कि 'एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स' के रूप में जाने जाते हैं और जिन्हें शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है।लंबे समय से चली आ रही वंचित समुदायों के शैक्षिक अभाव को दूर करने में उनके आसपास की यह नयी श्रेणियाँ और नीतिगत योजनाएं निकट भविष्य में बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं।

इस नीति के अनुच्छेद 6.6 में कहा गया है :

“शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजीकी बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए"

यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता है की यह यूपीए द्वारा शुरू की गई बहु-क्षेत्रीय विकास योजना (एमएसडीपी) योजना से शैक्षणिक रूप से बहिष्कृत जनों को समाहित करने की नीति थी जिस पर कार्य नहीं किया जा सका मगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे सुझाव जो अतीत में लागू नहीं किये जा सके उनके सुधार और परिवर्धन पर कार्य किया है| जिसे सुधारा और परिवर्धित किया गया है।

सीधा नकद हस्तांतरण और विशेष छात्रवृत्तियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार को एसईडीजी के लिए विशेष छात्रवृत्ति और नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका खंड 6.4 स्पष्ट रूप से कहता है:

"कई सफल कहानियाँ हैं ... योजनाओं जैसे ... छात्रवृत्ति, सशर्त नकद हस्तांतरण ... स्कूली शिक्षा प्रणाली में एसडीएसजी की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है।" ... इन सफल योजनाओं को पूरे देश में काफी मजबूत किया

जाना चाहिए"।

यह प्रावधान बच्चों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तिमें हेरफेर को लगभग असंभव बना देगा और कमजोर वर्गों को सीधे लाभ तक पहुँच प्रदान करेगा जो उन्हें भारत की शैक्षिक दुनिया में भाग लेने में सक्षम बना देगा। डीबीटी के अनुभवों ने बताया है की सीधे लाभार्थी को लाभ देकर समय और धन दोनों की बांचत की जा सकती है जिसका लाभ लाभार्थी को ही मिलता है इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम देखने को मिले है|

सुदृढीकरण पीछे हटना नही है :

समाज के एक तबके मे इस मिथक का निर्माण किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सीमांत समुदायों के लिए चल रहे विभिन्न विशेष कार्यक्रमों को वापस ले सकती है। मगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 कहती है : कई सफल नीतियाँ और योजनायें चल रही हैं जैसे लक्ष्य आधारित छात्रवृत्तियाँ, माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण,परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना, इत्यादि। इन योजनाओं ने निश्चित क्षेत्रों के अधीन विद्यालयी प्रणाली में एसईडीजी की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। देश भर में सफल नीतियों और योजनाओं को काफी मजबूत किया जाना चाहिए(6.4, पृष्ठ 25) | राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन योजनाओं को चलाने के साथ-साथ और इस समूह की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए, इन समूहों को ध्यान में रखकर और योजनायें प्रारंभ करने का सुझाव देती है|

"स्कूल के वैकल्पिक रूपों, उनकी परंपराओं .. और शैक्षणिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसा कि हम जनजातियों, छोटे समुदायों को जानते हैं, अधिकांश सीमांत समूह देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यालयों के वैकल्पिक रूप चलाते हैं।

विद्यालय के वैकल्पिक रूपों के लिए धनकी व्यवस्था :

भारत में शैक्षिक परिदृश्य का विस्तार करने के लिए नई शिक्षा नीति-2020, भारत में विभिन्न छोटे और सीमांत समुदायों द्वारा संचालित स्कूल के वैकल्पिक रूपों का समर्थन करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धारा 6.15 कहती है :

"स्कूल के वैकल्पिक रूपों, उनकी परंपराओं .. और शैक्षणिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसा कि हम जनजातियों, छोटे समुदायों को जानते हैं, अधिकांश सीमांत समूह देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यालयों के वैकल्पिक रूप चलाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसे वैकल्पिक विद्यालयों को मजबूत बनाया जाएगा। इन विद्यालय को "उचित ढंग से विकसित और आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता" मिलेगी। इसका एक उदहारण वर्तमान बजट में 750 नए एकलव्य विद्यालयों को खोलने के लिए धन की व्यवस्था करने से मिलती है की सरकार शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए तमाम शैक्षणिक प्रयासों की पहचान भी करती है और उन प्रयासों की सराहना भी करती है|

पूर्णकालिक विद्यालयों की समावेशी संस्कृति का निर्माण :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और अन्य एसईडीजी समुदायों के लिए शिक्षा के क्षेत्र को सम्मानजनक, सुविधापूर्ण बनाने के लिए एक पूरी संस्कृतिऔर वातावरण को बदलने के लिए नीतियों की रूपरेखा तैयार करती है।

खंड 6.19 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के मसौदे में कहा गया है, "स्कूली संस्कृति में बदलाव संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाएगा" और इसका खंड 6.20 कहता है कि विद्यालयों की पाठ्यचर्या में बदलाव के लागू होने से समावेश और समानता को बढ़ावा मिलेगा।

एसईडीजी समुदायों से शिक्षकों की विशेष भर्ती :

यह नीति अल्पसंख्यक और अन्य एसआईडीएसजी के शिक्षकों और नेतृत्वकर्त्ताओं की लक्षित भर्ती को भी बढ़ावा देती है। इस नीति की सिफारिशें एससी, एसटी और अन्य एसडीएसजी के लिए शैक्षिक क्षेत्र में नौकरियों के लिए अधिक जगहें उपलब्ध करा सकती हैं।

शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए एसईडीजी का जेंडर आधारित चेहरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 एसईडीजी महिलाओं के सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान देती है।

यह नीति न केवल वर्तमान में, बल्कि भविष्य के लिए एसईडीजीके उन्नयन के लिए महिलाओं की विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है।इसलिए यह अनुशंसा करती है कि एसईडीजी छात्रों, विशेषकर बालिकाओं के शैक्षिक समावेशन के लिए शुरू की गई सभी नीतियों और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देती है।

बालिकाओं एवं ट्रांसजेंडर जनों के लिए शिक्षा में समतापूर्ण समानता के राष्ट्र के क्षमता निर्माण के लिए

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार 'जेंडर समावेशन निधि' की स्थापना करेगी। यह निधि बालिका एवं ट्रांसजेंडर जनों द्वारा शिक्षा तक पहुँच बनाने की सहायता के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के लिए राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी(जैसे कि स्वच्छता और शौचालय, साइकिल, सशर्त नकद हस्तांतरण आदि)। यह निधि राज्यों को समुदाय आधारित हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगी जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार महिलाओं और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र मे बाधाओं को दूर करेगी। इसी तरह की 'समावेशी निधियाँ अन्य एसईडीजीके द्वारा पहुँच को बेहतर बनाने के लिए स्थापित की जाएंगी।

दूरस्थ शिक्षा का पुनराविष्कार :एसईडीजी के लिए एक अवसर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 सीमांत समुदायों और अन्य एसईडीजी समुदायों के शैक्षिक समावेशन के लिए दूरस्थ शिक्षा के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण उपयोग की सिफारिश करती है।यह सभी छात्रों, विशेषकर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों(एसईडीजी) पर विशेष जोर देने के साथ, औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षाके तरीके से सीखने की कई विधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्यालयी शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाने का प्रस्ताव करती है।

भारत में उन नौजवानों की जो किसी भौतिक विद्यालय मे पंजीकृत नहीं हैं, उनकी सीखने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग(एनआईओएस)की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अधीन 'स्टेट ओपन स्कूल' का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

एनआईओएस और स्टेट ओपन स्कूल वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रम पेश करेंगे : ए, बी और सी स्तर जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के कक्षा 3, 5 और 8 के समतुल्य होंगे। माध्यमिक स्तर पर कक्ष 10 और 12 के बराबर, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम / कार्यक्रम;और वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। राज्यों को इन पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए नए और पहले से मौजूद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ स्कूलिंग की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति-2020 बताती है कि दिव्यांग बच्चों के लिए एकछात्र पर एक शिक्षक,समकक्षों द्वारा अध्यापन,ओपन स्कूलिंग, उपयुक्त बुनियादी ढाँचा और उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप के द्वारा पहुँच को प्रभावी बनाने का प्रावधान करती है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा लाभांश है जो आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आते हैं। इसी बीच, परामर्शदाता एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताछात्रों,माता-पिता, विद्यालय और शिक्षकों के साथ मिलकर उपस्थिति में सुधार ला सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप शहरी गरीब बच्चों के लिए सीखने के परिणाम विशेष रूप से प्रभावी पाए गए हैं।

मातृभाषा, पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक न्याय :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे- एससी, एसटी, और ओबीसी के शैक्षणिक समावेशन और सबलीकरण को दिशा- निर्देशित करने वाली बहुत सी विशेषताओं में, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में कक्षा-पाँच (अधिमानतः कक्षा-8 और उससे भी

आगे तक) तक के छात्रों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस फ़ोकस के द्वारा समाज व राष्ट्र के क्षमता-निर्माण की दिशा में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस मुद्दे पर ध्यान दिये जाने से समाज व राष्ट्र की क्षमता के निर्माण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में स्कूली शिक्षा दिए जाने से विद्यमान प्रक्रिया में भारी बदलाव आ सकता है। विद्यालयों में अधिकांशतः हाशियाकृत समुदायों के विद्यार्थियों को अपनी भाषाओं व मातृभाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत महसूस होगी। यह बात जनजातीय समुदायों के उन बच्चों के लिए और अधिक प्रासंगिक है जो अपनी स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करने को वरीयता देते हैं।

यह प्रावधान उनके लिए स्कूली शिक्षा में हिस्सा लेने में सुविधापूर्ण होगा और उन्हें भरोसा दे सकेगा।

स्कूलों में भारी संख्या में उनका नामांकन सुनिश्चित करने में यह प्रावधान मददगार होगा। कुछ समय तक मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अन्य भाषाओं में अपनी शिक्षा का माध्यम बदलने का निर्णय ले सकेंगे।

इस नीति में मातृ भाषा में प्राथमिक व द्वितीयक स्तर की शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इसके द्वारा वे इतने सक्षम हो सकेंगे कि विभिन्न स्थानीय समाजों में उपलब्ध अपने स्थानीय व देशज संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकें। स्थानीय ज्ञान, कौशल, देशज तकनीक व स्थानीय उत्पादों का समुचित अन्वेषण उन्हीं लोगों के द्वारा संभव हो सकता है जो स्थानीय समाजों के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन व भाषाओं से गहरे से जुड़े हों। भारत में बहुत से हाशियाकृत सामाजिक समूह उनकी पारंपरिक ज्ञान पद्धतियों के लिहाज़ से

सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में कक्षा-पाँच (अधिमानतः कक्षा-८ और उससे भी आगे तक) तक के छात्रों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीयशिक्षानीतिराष्ट्रीयशिक्षा नीतिके इस फ़ोकस के द्वारा समाज व राष्ट्र के क्षमता-निर्माण की दिशा में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

काफी समृद्ध हैं। राष्ट्रीयशिक्षानीति-2020 के द्वारा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में उनके पारंपरिक ज्ञान के महत्व को चिन्हित किया गया है तथा उन्हें सबलीकृत करने के लिए इन ज्ञान-रूपों को रूपांतरित करने वाली रणनीतियों की पहचान की गयी है।

नए और समरस भारत का निर्माण :

हमारे राष्ट्रीय संघीय ढाँचे को मजबूत और विविधता में एकता हासिल करने के लिए भी राष्ट्रीयशिक्षानीति-2020 ने अनेक प्रावधान किए हैं, जिनके द्वारा अल्पसंख्यकों व लघु सामाजिक समूहों की शैक्षणिक संस्कृति को सहयोग किया जायेगा।उनके शैक्षणिक संस्थानों को मिल रहे वित्तीय सहयोग व विद्यार्थियों को मिल रही छात्रवृत्ति को जारी रखने की प्रतिबद्धता इसके द्वारा दिखाई गयी है जिससे भारत के शैक्षिक परिदृश्य में सहभागिता बनाये रखने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि होती रहे।

आदर्श और वास्तविकता :

इन सभी सिफारिशों व प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत में समरस शिक्षित समाज (एसएसएस) के निर्माण को सुनिश्चित करती है। शिक्षा नीति के इतिहास में यह पहली बार है जब एनडीए सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दीर्घ, वृहत, गुणवत्तापूर्ण और स्वाभिमानी शैक्षणिक परिसर का निर्माण हो रहा है।समाज के लगभग सभी प्रकार के वंचितो के समावेशन की दिशा में यह एक तरीक़े से चार्टर तथा शपथ पत्र की तरह है। हम आशा करते हैं कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान यह अधिक प्रभावी और ठोस रूप में सामने आ सकती है।सारांशतः, इस नीति का उद्देश्य किसी भी लिंग अथवा अन्य सामाजिक-आर्थिक वंचित समूह से संबंधित बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच हासिल करने में होने वाली किसी भी तरह की विषमता का उन्मूलन करना है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

इस प्रकार, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का समुचित कार्यान्वयन होगा तो इसके द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर, दीन दयाल उपाध्याय के सपनों का समरस भारत सुनिश्चित किया जा सकेगा, और यही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आकांक्षाओं का 'नया भारत' भी हैजिसके द्वारा वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश को हर क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाना चाहते है|

संक्षेप मे नीति

- सभी तरह के हाशियाकृत समुदायों की शिक्षा तक पहुँच।
- हाशियाकृत का यहाँ पर आशय है : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, महिला और ट्रांसजेंडर।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 हाशियाकृत समुदायों के उचित, गरिमापूर्ण और गुणवत्ता पूर्ण समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है।
- शैक्षिक हस्तक्षेप के असमानता को कम कराना।
- हाशियाकरण के नए, लघु और अदृश्य रूपों की पहचान करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण की नीति को बाध्यकारी मानती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान के सभी कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए वचनबद्ध है।
- वंचित समूहों को शामिल करने के लिए नए प्रयास भी किए जाएंगे।
- कोई भी शिकायतप्राप्त होने पर मंत्रालय उचित कार्रवाई करेगा और इसके लिए पारदर्शी और सक्षम व्यवस्था का विस्तार|
- हाशियाकृत समुदायों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे एसईडीजीका प्रावधान किया गया है।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े(एसईडीजी) जाति आधारित असमानता को कम करने के लिए है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाशियाकरण के बारे मे मानती है पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में इसका प्रसार बहुत तीव्र गति से होता है।
- एसईडीजीसामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए जगह उपलब्ध कराती है।
- 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता।
- कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए शैक्षिक संसाधनों का वितरण।
- पूर्णकालिक विद्यालयों की संस्कृति एवं वातावरण को पूरी तरह से बदलने के लिए नीतियों की रूपरेखा।

- अल्पसंख्यकों एवं एसईडीजीसे शिक्षक एवं कुशल शैक्षणिक नेतृवकर्ताओं की भर्ती।
- एसईडीजीकी भूमिका के उन्नयन में महिलाओं की अति महत्त्वपूर्ण भूमिका को महत्त्व देना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत भारत सरकार एक जेंडर समावेशी फंड की स्थापना करेगी।
- यह बालिकाओं और ट्रांसजेंडर को शिक्षा के क्षेत्र मे समतामूलक समानता उपलब्ध कराएगी।
- दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रभावकारी एवं गुणवत्तापूर्ण प्रयोग का सुझाव।
- एक छात्र पर एक अध्यापक के विचार का सुझाव।
- कक्षा पाँच तक मातृ भाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना(कक्षा आठ और उसके बाद भी इसे प्राथमिकता देने का विचार)।
- शैक्षिक पाठ्यचर्या में परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक्रम।
- शैक्षिक संस्थानों को सतत वित्तीय सहायता के लिए वचनबद्धता।
- हाशियायी तबकों के विभिन्न छात्रवृत्तियों का प्रावधान।
- बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य है।
- यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी द्वारा नए भारत की दिशा मे एक प्रभावी कदम है।

CENTER OF POLICY
RESEARCH AND GOVERNANCE